भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — पाँच रुपये FIVE RUPEES

(14)

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र० क्र० निग्रानी-912-IV/2003

आवेदिका :- श्रीमति मुल्ला बाई पत्नि बेवा मूलचंद लोधी

निवासी- ग्राम तेवर. तह० व जिला जबलपुर.

(1) प्रसाद पुत्र स्वर्गीय मूलचन्द (2) मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय मूलचन्द आदि मृतक के वारिस

वि०

अनावेदक :- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा तहसीलदार नजूल. जबलपुर.

आवेदन पत्र धारा 50, 8 सह पठित धारा 32 म.प्र. भू. राजस्व संहिता. 1959 के अंतर्गत ।

आवेदिका निम्न कथन कर प्रार्थना करती है कि --

1. यह कि, आवेदिका ग्राम तेवर, नं० बंदो० 229, प. ह. नं.29, तहसील व जिला जबलपुर. की भूमि खसरा नंबर - 58, रकबा- 1.971 हे० की मालिक - काबिज व भूमि स्वामी है । जिसका राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में नाम दर्ज है । खसरा नंबर - 58 की भूमि कृषि भूमि है। जिसमें निरंतर खेती / कृषि हो रही है। तथा आज भी आवेदिका कृषि कर रही है। एवं स्थल पर. मालिक काबिज है ।

2. यह कि, आवेदिका को अपने उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि के संबंध में, दिनांक - 10.6.03 को जानकारी प्राप्त हुई कि, उसकी उपरोक्त भूमि, पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में. नगरीय अतिशेष घोषित भूमि , दर्ज कर दी है । तो उसने इस संबंध में, सत्य प्रतिलिपिकार ... के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत ... दिनांक - 13.6.03 को

निग्रानी 912-IV/2003

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18-2-16 के पालन में संशोधन 18-3-16

दिनांक 10.6.03 को जबलपुर कैम्प पर श्री ... विश्वकर्मा ... द्वारा प्रस्तुत

10-6-03

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 912–चार/2003 जिला–जबलपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8 – 11 –16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.16 अनुसार श्रीमती मुल्लाबाई के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिया गया। 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमा, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 579/अ–90(बी–9)/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 26.02.92 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 (8) सहपठित धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि दिनांक 21.12.88 के आदेश पत्रिका से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय सक्षम अधिकारी,	

नगर भूमि सीमा, जबलपुर द्वारा आवेदकगण की ग्राम तेबर, नं0 बंदोबस्त 248 में से रकबा 22363.77 वर्ग मी0 भूमि अतिशेष घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसके विरूद्ध में आवेदकगण/आपत्तिकर्ता द्वारा दिनांक 09.07.84 को आपत्ति प्रस्तुत की गई । आपत्ति का मुख्य आधार है कि आपत्तिकर्ता को केवल एक यूनिट की पात्रता दी गई है, जबकि उसके भाई, बहन, माता, पिता है जो सभी भूमि समान हकदार है। नगर निवेश विभाग के मतानुसार आपत्तिकर्ता की भूमि कृषि हेतु प्रस्तावित है। किन्तु आपतित्तकर्ता ने अपनी आपत्ति के साथ परिवार के सदस्यों की न दो सूची संलग्न की और न उनकी आयु के संबंध में कोई प्रमाण पत्र ही दिये है जिससे यह ज्ञात हो सके कि दिनांक 09.09.76 की स्थिति में उसके परिवार के कितने सदस्य पूर्ण बालिग थे, जिन्हें अलग से यूनिट पाने की पात्रता है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि होने का प्रश्न है, ग्राम तेवर मास्टर प्लान में कृषि हेतु प्रस्तावित है, किन्तु आपत्तिकर्ता ने संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन का कोई मत न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिससे कि यह ज्ञात हो सके की प्रश्नाधीन खसरा नं0 248 किस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित है। इसी आधार पर समक्ष अधिकारी नगर भूमि सीमा, जबलपुर द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्य किया है तथा ग्राम तेवर स्थित खसरा नं0 248 रकबा 23863.77 व0मी0 में से पात्रता का 1500 व0मी0 कम करने के बाद शेष 22363.77 व0मी0 भूमि अंमि रूप से अतिशेष घोषित किया है । सक्षम अधिकारी,

नगर भूमि सीमा, जबलपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य